न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :—55 / 21

रज्जू दिनांक 09—07—2021

पीठासीन अधिकारी

श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

ग्यारसीलाल वगै0 बनाम घासीलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. श्री कमलेश सैनी, तेजराम मीना एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नाथूलाल मीना अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3. अप्रार्थी 2 की एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 15/6/22

संक्षिप्त मे वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे अंकित कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 30 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नं0 35 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नं0 36 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नं0 37 रकबा 1.7800 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3000 हैक्टयर वाकै ग्राम उगरियावास तहसील लालसोट मे स्थित है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर कर लगान सरकारी का अदा करते आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है न हि वर्तमान में है। प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि पर साल दर साल फसल काश्त करके अपना एव अपने परिवारजनो का भरण पोषण करके जीवन निर्वाह करते चले आ रहे है। तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण द्वारा अपनी विवादित भूमि मे फसल काश्त करने हेतू जोत आदि निकालकर तैयार कर रखा है। प्रार्थीगण अपनी तनहा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है तथा प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ते आदि का वजुद नही रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि विवादित भूमि के पास है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के आवागमन हेतू पूर्व का रास्ता विद्यमान भी है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 आपसकी मनमुटाव के चलते प्रार्थीगण को विवादित भूमि बाबत अनुचित तरीके से हैरान व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

परेशान कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर व्यवधान कर रहा है जिसका उसे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके वारिसान राजनैतिक दबग व्यक्ति है जो अपने रूतबे एवं रूपयों के दम पर विवादित भूमि बाबत प्रार्थीगण को अनुचित प्रकार से हैरान व परेशान कर रहे है दिनांक 23-06-2021 को जब प्रार्थीगण अपनी विवादित भूमि पर बुआई जुताई करने लग गये तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिजनो एवं दीगर व्यक्तियो को साथ लेकर आया एवं टैक्टर को रोक दिया एवं प्रार्थीगण को फसल बुआई करने नही दी एवं धमकी दी गई कि इसमे तुम्हे बुआई जुताई नही करने देगे एवं तुम्हारी भूमि की तरमीम हमारी भूमि मे करवायेगे तथा विवाद करने लगे। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद तामील अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते बहस नियम की गई।

हमने बहस अधिवक्ता सुनी गई जिसे प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के चरणो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। तथा बहस अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

मैने बहस अधिवक्तागण सूनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि आराजी खसरा नं0 30 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नं0 35 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नं0 36 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नं0 37 रकबा 1.7800 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3000 हैक्टयर वाकै ग्राम उगरियावास तहसील लालसोट जिला दौसा का प्रार्थीगण राजस्व रिकार्डेड मुताबिक जमाबन्दी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है तथा प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष है सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। इसलिए प्रावधानानुसार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

नही करे। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव मेरी राय मे अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी नं. 30 रकबा 0.4400 हैक्टयर, खसरा नं0 35 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नं0 36 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नं0 37 रकबा 1.7800 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3000 हैक्टयर वाकै ग्राम उगरियावास तहसील लालसोट बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी न करे न करावे एवं बेदखल नही करे ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

निर्णय आज दिनांक 15/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जि0 दौसा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)